केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली -110032

फा.सं.सी27013/01/2016/हिन्दी/ -336 दिनांक: 04.12.2019

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अधिकारियों/कर्मचारियों में अभिव्यक्ति कौशल की अभिवृद्धि तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत, 'गृह पत्रिका' का प्रकाशन किया जाता है। तदनुसार, दिनांक 27.12.2018 को आयोजित 87वीं विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड द्वारा कार्यालय की "वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका" के प्रकाशन का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त बैठक के कार्यवृत्त और दिनांक 13.03.2019 के परिपत्र सं.सी 27013/01/2016/परिपत्र/रा.भा./899 के अनुक्रम में, "वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका" के प्रथम अंक के प्रकाशन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों से, एतदद्वारा, प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

1. उपर्युक्त पत्रिका के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरल भाषा में कार्यालय के लिए उपयोगी सामग्री, सामयिक लेख, लघु कहानियां, कविता, संस्मरण, आलेख, यात्रा वृतांत, हास्य/व्यंग्य, प्रेरक उक्तियाँ, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि से संबंधित प्रविष्टियाँ प्रेषित की जा सकती हैं।
2. पत्रिका में संगठन के कार्यक्षेत्र संबंधी लेख को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिकारी/कर्मचारी संगठन के कार्य से एवं उससे संबंधी शब्दावली से अधिक से अधिक परिचित हो सकें।
3. पत्रिका के लिए प्रेषित रचना/प्रविष्टि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की स्वरचित (मूल रचना) होनी चाहिए यथा यह अधिकतम 300 शब्दों में ही स्वीकार्य होगी। यदि प्रविष्टि की मौलिकता, विषय-वस्तु, फोटो, ग्राफ आदि पर कोई आपत्ति की जाती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का होगा।
4. इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रीय निदेशालय वर्ष 2018-19 की उपलब्धियों, महत्वपूर्ण गतिविधियों आदि को संक्षिप्त रूप में गृह पत्रिका में प्रकाशन हेतु प्रेषित कर सकते हैं।
5. एक अधिकारी/कर्मचारी से केवल एक प्रविष्टि ही प्रकाशनार्थ स्वीकार्य होगी।
6. पत्रिका में प्रकाशन योग्य सामग्री का चयन गठित "संपादक मण्डल" द्वारा किया जाएगा और उन्हें प्रकाशनार्थ स्वीकार करने या अस्वीकार करने सहित संबंधित अन्य निर्णय लेने का अधिकार होगा।
7. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तथा धन एवं श्रम के अपव्यय को रोकने के लिए रचना/प्रविष्टि को मंगल फॉन्ट में (12 के फोंट साइज में) टंकित सॉफ्ट प्रति rajbhasha.cpcb@gmail.com पर प्रेषित करें। रचना/प्रविष्टि के साथ ही रचनाकर/लेखक का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ भी प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

कृपया हिंदी में मौलिक/स्वलिखित रचनाएँ/सामग्री राजभाषा प्रभाग, केंद्रीय बोर्ड, मुख्यालय, दिल्ली को 31 दिसंबर, 2019 तक उपर्युक्त ई-मेल पर प्रेषित करे ताकि यथासंभव प्रविष्टियाँ प्राप्त कर हिन्दी गृह पत्रिका का प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।

(हेमलता रहेजा)
प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

प्रति प्रेषिती:

1. सभी प्रभाग/अनुभाग प्रभारी	• कृपया इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. प्रभारी, सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय निदेशालय	• कृपया इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग	• कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड के इंट्रा पोर्टल पर अपलोड करें।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव	• सादर सूचनार्थ।
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव	• सादर सूचनार्थ।
6. सभी सूचना पट्ट	• सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ।
7. रा.भा. प्रभाग की संबंधित फाइल	

(हेमलता रहेजा)